झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
एकादश (बजट) सत्र
वर्ग–02

23 फाल्गुन,1944 (श०)
निम्नांकित अल्प–सूचित प्रश्न, मंगलवार, दिनांकः–.....को
14 मार्च, 2023 (ई०)
झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क० सं०	विभागों को भेजी गई सां०संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
'क'–08-	अ०सू०–13	प्रो०स्टीफन मराण्डी,	कॉलेज भवनों का सदुपयोग।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	21-02-23
'ख'–09-	अ०सू०–01	श्री विनोद कुमार सिंह,	विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	14-02-23
133-	अ०सू०–57	प्रो०स्टीफन मराण्डी,	विसंगतियों का समाधान।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	01-03-23
134-	अ०सू०–26	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह,	मानदेय में वृद्धि।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	23-02-23
135-	अ०सू०–61	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन,	नियमित वेतन का भुगतान।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	02-03-23
136-	अ०सू०–28	श्री बिरंची नारायण,	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	सूचना,प्रो० एवं ई–गवर्नेंस	23-02-23
137-	अ०सू०–42	डॉ०सरफराज अहमद,	स्थाई शिक्षकों की नियुक्ति।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	25-02-23
138-	अ०सू०–07	श्री भानु प्रताप शाही,	छात्रों को मौका देना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	21-02-23
139-	अ०सू०–51	श्री नारायण दास,	भ्रष्टाचार की जाँच।	पर्य०कला०सं०खे०कू०एवं युवा कार्य	27-02-23
140-	अ०सू०–19	श्री अनन्त कुमार ओझा,	पुस्तक उपलब्ध कराना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	23-02-23

कृ०पृ०उ०.....2/–

01	02	03	04	05	06
141-	अ0सू0-58	श्री दीपक बिरूवा,	शिक्षकों का पदस्थापन।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	01-03-23
142-	अ0सू0-41	श्री विकास कुमार मुण्डा,	डिग्री के आधार पर ज्वाईनिंग	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	25-02-23
143-	अ0सू0-37	श्री राजेश कच्छप,	संस्थानों का अधिग्रहण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	25-02-23
144-	अ0सू0-36	श्री प्रदीप यादव,	योजना को पुनर्जीवित करना।	सू0प्रौ0एवं ई-गवर्नेंस	25-02-23
145-	अ0सू0-25	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह,	योग की शिक्षा देना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	23-02-23
146-	अ0सू0-45	श्री विकास कुमार मुण्डा,	ट्रेनिंग दिलवाना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	25-02-23
147-	अ0सू0-59	श्री मनीष जायसवाल,	टास्क फोर्स का गठन।	वन,पर्या0एवं जल0परिवर्तन	28-02-23
148-	अ0सू0-40	सुश्री अम्बा प्रसाद,	नियुक्ति प्रकिया में लाभ देना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	25-02-23
149-	अ0सू0-60	श्री किशुन कुमार दास,	सेवाशर्त नियमावली बनाना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	01-03-23
150-	अ0सू0-55	श्री प्रदीप यादव,	सेवा पूर्णकालिक करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	04-03-23
151-	अ0सू0-52	श्री नारायण दास,	नियमावली बनाना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	27-02-23
152-	अ0सू0-48	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह,	मुफ्त शिक्षा मुहैया करवाना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	26-02-23
153-	अ0सू0-63	श्री राज सिन्हा,	शुल्क में कमी करना।	पर्य0,कला0सं0 खे0कू0एवं युवा कार्य	04-03-23
154-	अ0सू0-21	श्री बिरंची नारायण,	स्कूल किट उपलब्ध कराना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	23-02-23
155-	अ0सू0-53	श्री निरल पुरती,	बकाया मानदेय का भुगतान।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	01-03-23
156-	अ0सू0-50	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा,	बैंक खाता खोलना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	26-02-23

नोटः- 'क'-08 अ0सू0-13,दिनांक-28-02-2023 को सदन से दिनांक-14-03-2023 के लिए पुट है।
'ख'-09 अ0सू0-01दिनांक-28-02-2023 को सदन से दिनांक-14-03-2023 के लिए पुट है।

राँची,
दिनांक-14 मार्च,2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

कृ0पृ0उ0.....3

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-03/2020-1109/वि0स0,राँची,दिनांकः-13/03/23

प्रतिलिपिः- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-03/2020-1109/वि0स0,राँची,दिनांकः-13/03/23

प्रतिलिपिः--माननीय अध्यक्ष महोदय के विशेष कार्य पदाधिकारी/निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-03/2020-1109/वि0स0,राँची,दिनांकः-13/03/23

प्रतिलिपिः--कार्यवाही शाखा/बेवसाईट शाखा/जे0भी0एस0 टी0भी0 शाखा/ ऑनलाईन शाखा /प्रश्न ध्यानाकर्षण एवं अनागत शाखा, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

09.03.2023

उत्तर मुद्रित

कॉलेज भवनों का सदुपयोग ।

"क" 8. प्रो० स्टीफन मराण्डी--क्या मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शिक्षा का अधिकार का कानूनी प्रावधान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के मद्देनजर राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना का सरकार ने वर्षों पूर्व संकल्प लिया था;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में अनेकों पूर्ण परंतु अहस्तांतरित डिग्री कॉलेज भवनों की भाँति महेशपुर, नाला, शिकारीपाड़ा एवं सारठ विधान-सभा क्षेत्रान्तर्गत महेशपुर, फतेहपुर, शिकारीपाड़ा एवं पालाजोरी में कॉलेज भवन बनकर तैयार रहने के बावजूद भी अहस्तांतरित एवं बेकार पड़े हुए है;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त भवनों का हस्तांतरण नही होने का मुख्य कारण डिग्री महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अन्य संवर्गों में पदों की स्वीकृति का नही होना है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यथाशीघ्र उक्त कॉलेजों हेतु विभिन्न संवर्गों में पदों की स्वीकृति प्रदान करते हुए करोड़ों रुपये की लागत से निर्मित कॉलेज भवनों का सदुपयोग करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक । विधानसभावार जहाँ अंगीभूत महाविद्यालय नही है, वैसे विधान-सभा क्षेत्रों में डिग्री महाविद्यालय खोलने का निर्णय है ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक । डिग्री कॉलेज, महेशपुर का निर्माण कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण हो चुका हे तथा भवन हस्तांतरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । डिग्री महाविद्यालय, फतेहपुर, नाला का कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है । डिग्री महाविद्यालय, शिकारीपाड़ा का कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है । मॉडल महाविद्यालय, पालोजोरी का निर्माण कार्य पूर्ण है तथा सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका को हस्तांतरित है । मॉडल महाविद्यालय, पालोजोरी में छात्रों का नामांकन किया गया है तथा उक्त महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य तथा बर्सर की नियुक्ति की गई है ।

(3) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राँची द्वारा निर्गत संकल्प पत्रांक-1923, दिनांक 18 नवम्बर, 2022 के द्वारा नवस्थापित डिग्री एवं महिला महाविद्यालयों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों का सृजन तथा महाविद्यालयो में संकाय की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

(4) कंडिका-1 एवं 2 में सन्निहित है ।

विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति ।

उत्तर मुद्रित

''ख'' 9. श्री विनोद कुमार सिंह--क्या मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में 300 से ज्यादा JRF पास अभ्यर्थियों को शिक्षकों के अभाव में शोध निदेशक नहीं मिल रहे है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में स्वीकृत पदों के 40 प्रतिशत से ज्यादा शिक्षक के पद खाली है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बेहतर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और शोध को बढ़ावा हेतु विश्वविद्यालयों शिक्षकों की शीघ्र नियुक्ति का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

---

*नोटः- ''क'' 8 दिनांक 28 फरवरी, 2023 को सदन से दिनांक 14 मार्च, 2023 के लिए पुट है ।

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक ।

(2) स्वीकारात्मक ।

(3) झारखण्ड राज्य के विश्वविद्यालयों के मुख्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय को इकाई मानकर आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया हेतु प्रस्ताव कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को प्रेषित है । इस प्रकार शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

---

(133)

प्रो0 स्टीफन मराण्डी, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–57 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सप्तम केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में विश्वविद्यालय के सेवा निवृत शिक्षकों को उपादान (Gratuity) की अधिकतम राशि 20,00,000/– बीस लाख रूपये देय है जबकि शिक्षकों को सेवा निवृति होने पर मात्र 10,00,000/– दस लाख रूपये का ही भुगतान होता है;	अस्वीकारात्मक। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्रांक 492 दिनांक 24.02.2023 के द्वारा शिक्षकों के नियुक्ति एवं अन्य लाभ से संबंधित Statutes की कंडिका–9.2 (ii) के आलोक में विश्वविद्यालय के सेवानिवृत शिक्षकों को उपादान (Gratuity) की अधिकतम राशि 20,00,000/– बीस लाख रूपये देने का प्रावधान किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि सप्तम वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों का विश्वविद्यालय द्वारा 01.01.2016 को नियत वेतन 1,81,800/– रूपया निर्धारित किया गया था जिसे विभाग द्वारा मनमानी ढंग से स्थापित नियमों के विरूद्ध घटाकर 1,71,400/– कर दिया गया है, इतना ही नहीं बहुत से शिक्षकों का वेतन निर्धारित तो इससे भी कम पर हुआ है;	विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों (रीडर) को दिनांक 01.01.1996 से 12,000–18,300 के वेतनमान में वेतन निर्धारण किया गया है। सप्तम वेतनमान में उक्त वेतनमान का प्रतिस्थानी वेतन 1,71,400/– रूपया है।
3.	क्या यह बात सही है कि पी0एच0डी0 डिग्री धारण करने वाले 1981 बैच के शिक्षकों को पहले से विभाग द्वारा निर्धारित पी0एच0डी0 इंक्रीमेंट दिया गया था जिसे वर्तमान में निरस्त कर दिया गया जो नियम एवं न्यायसंगत नहीं है;	अस्वीकारात्मक। मानव संसाधन विकास विभाग के पत्रांक 1399 दिनांक 30.11.2004 की कंडिका–4 के आलोक में 1981 बैच के योग्यताधारित शिक्षकों को पी0एच0डी0 इंक्रीमेंट का लाभ दिया जा रहा है।
4.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विश्वविद्यालय शिक्षकों/सेवा निवृत शिक्षकों के कल्याणार्थ वेतन निर्धारण, उपादान की राशि का भुगतान एवं पी0एच0डी0 इंक्रीमेंट प्रदान करने में व्याप्त विसंगतियों का यथा शीघ्र समाधान करने का विचार रखती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 एवं 3 में सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक–01 / वि0स0–31 / 2023 647 / राँची, दिनांक 13/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–786 दिनांक–01.03.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/23
(सुरेश चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

134

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू.–26

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि दिसम्बर 2021 में शिक्षा मंत्री एवं सचिव के साथ किये गये वार्ता में झारखंड में पारा शिक्षकों (सहायक अध्यापकों) का आकलन परीक्षा तीन माह के अंदर होने पर सहमति बनी थी ;	अस्वीकारात्मक। विभागीय मंत्री एवं सचिव के साथ आयोजित बैठक में गैर टेट पास एवं प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में आकलन परीक्षा पास करने पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत बोनस देने की बात कही गई थी।
2	क्या यह बात सही है कि परीक्षा में होने वाले देरी के कारण 47 हजार सहायक अध्यापकों के मानदेय में 10 फीसदी बढ़ोतरी अब तक नहीं हो पाया है, जिससे उन शिक्षकों में व्यापक आक्रोश है;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड सहायक सेवाशर्त नियमावली 2021 की कंडिका 8(ii) के अनुसार सभी कार्यरत प्रशिक्षित सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षक जिनके शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के उपरांत वैध पाए जायेंगे वे आकलन परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। झारखण्ड सहायक सेवाशर्त नियमावली 2021 की कंडिका 7(ii) के अनुसार आकलन परीक्षा हेतु चार अवसर प्रदान किया जाएगा। कार्यरत प्रशिक्षित सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षक के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन में विभिन्न बोर्ड/विश्वविद्यालय में हो रहे विलम्ब के कारण आकलन परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा सका है। राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के 61,161 सहायक अध्यापकों में से 56,633 सहायक अध्यापकों के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्रों का सत्यापन किया जा चुका है। आकलन परीक्षा के आयोजन हेतु झारखंड अधिविद्य परिषद्, राँची द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किया जा चुका है। झारखंड अधिविद्य परिषद्, राँची द्वारा अभी माध्यमिक एवं इंटरमिडिएट की परीक्षाएँ आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा की समाप्ति के पश्चात् आकलन परीक्षा का आयोजन करने की कार्रवाई की जाएगी।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलंब आकलन परीक्षा लेकर 47 हजार सहायक अध्यापकों के मानदेय में 10 फीसदी बढ़ोतरी करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खंड का उत्तर खंड–2 में सन्निहित है।

13/3/23
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक : 16/वि.2–91/2023.393./राँची, दिनांक 13-3-/2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–243 दिनांक 23.02.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/3/23
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

135

785
12/03/2023

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–61
क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान नहीं होता है, जिसके कारण शिक्षकों एवं कर्मचारियों को परिवार चलाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा उन्हें मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ता है;	वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के अराजकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु जिलों से प्राप्त मांग पत्र के आलोक में वेतन अनुदान की राशि ससमय आवंटित की जाती है। गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय की प्रबंध समिति को Right to Administor के अंतर्गत संबंधित विद्यालय के प्रशासन के संबंध में व्यापक अधिकार प्राप्त है, जिसमें उनके द्वारा नियुक्त शिक्षक/शिक्षिकाओं/कर्मियों को उनके द्वारा ही वेतनादि का भुगतान किया जाता है। फलस्वरूप स्वीकृत्यादेश के अनुसार संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा उनसे प्राप्त विपत्रों का भुगतान, विद्यालय प्रबंध समिति स्तर पर संचालित विद्यालय के खाते में माह के प्रथम सप्ताह में किया जाता है तथा संबंधित प्रबंध समिति द्वारा अपने नियुक्त शिक्षक/कर्मियों को भुगतान किया जाता है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को नियमित वेतन भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उत्तर कंडिका–1 में सन्निहित है।

विश्वा॥ –
12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–84/2023 785 / दिनांक 12/03/2023
प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वा॥ –
12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

(136)

श्री विरंची नारायण, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं0--28 का उत्तर प्रतिवेदन –

क्र.	अल्पसूचित प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि केन्द्र सरकार की डिजिटल इंडिया के तहत् वाई–फाई चौपाल योजना से बोकारो एवं रामगढ़ के 400 ग्रामों को डिजिटल बनाने की योजना थी और ग्रामीणों को 25 रुपये में 2जीबी डाटा दिया गया था, परन्तु एक दिन भी इंटरनेट नहीं चला और योजना बंद हो गया है;	**स्वीकारात्मक।** बोकारो जिला के संबंधित पंचायतों में वाई–फाई चौपाल योजना अधिष्ठापित किया गया था एवं ग्रामीणों को रु0 20/– में 2जी.बी. डेटा का लाभ मिला था एवं उक्त योजना दो वर्षों तक प्रभावी रहा। रामगढ़ जिला में उक्त योजना वर्ष 2020 तक प्रभावी रहा।
2	क्या यह बात सही है कि अक्टूबर 2016 में कसमार प्रखंड कार्यालय सहित 15 पंचायतों को वाई–फाई गांव बनाया गया था एवं नवम्बर 2016 में दुग्दा पूर्वी व पश्चिमी पंचायत को कैशलेस गाँव घोषित किया गया था और अगस्त, 2017 में चास प्रखंड के कुर्रा पंचायत और चंदनक्यारी प्रखंड के चंदनक्यारी पूर्वी पंचायत को डिजी गांव घोषित किया गया था, लेकिन यह केवल पेपरों में ही सिमटा रहा और लोगों को एक दिन भी योजना का लाभ नहीं मिला, जबकि इसमें लाखों रुपये खर्च हुए;	**स्वीकारात्मक।** चन्द्रपुरा प्रखंड के ग्राम पंचायत दुग्दा पूर्वी एवं दुग्दा पश्चिमी को कैशलेस गांव घोषित किया गया था और ग्रामीणों/दुकानदारों को कैशलेस की जानकारी एवं जागरूकता अभियान चलाया गया था।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार व्यापक जनहित में उक्त योजना में बरती गई धांधली की जाँच करवाते हुए इसके लिए दोषी और सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करते हुए इन क्षेत्रों को योजना के अनुरूप डिजिटल बनाने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	**अस्वीकारात्मक।** उपर्युक्त कंडिका–1 एवं 2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग

तृतीय मंजिल, झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, रांची–834004

ज्ञापांक : ITSec2/Vidha-Prshn-06/2023/IT - 443 रांची, दिनांक : 13.03.2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0प्र0–248, दिनांक 23.02.2023 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सुनील कुमार पोद्दार) 13/03/23
अवर सचिव

D:Vidhansabha Q/SL

(137)

765
12/03/2023

डॉ0 सरफराज अहमद, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–42

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य की शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार के लिए 89 मॉडल विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया था;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि 89 मॉडल विद्यालयों की स्थापना से ही अधिकांश विद्यालयों का अपना भवन नहीं था, वर्त्तमान में 33 विद्यालयों का अपना भवन नहीं है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में इन विद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य विद्यालयों के भवनों में की गई थी। वर्तमान में 89 विद्यालयों में से 62 विद्यालयों के भवन का निर्माण हो चुका है तथा अगले दो माह में 08 अन्य मॉडल विद्यालयों का भवन निर्माण पूर्ण होने की संभावना है। वर्तमान में 45 विद्यालय अपने भवन में स्थानांतरित होकर संचालित हो रहे है तथा शेष 25 विद्यालयों के अगले दो माह में अपने भवन में स्थानांतरित होने की संभावना है। शेष 19 विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य निर्माणाधीन है, जिसे आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण एवं स्थानांतरित किये जाने का लक्ष्य है।
3.	क्या यह बात सही है कि मॉडल विद्यालयों में अभी तक स्थाई शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गयी है, फलस्वरूप मॉडल विद्यालयों में पठन–पाठन सुचारू रूप से नहीं हो रहा है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वर्तमान में संचालित 89 मॉडल विद्यालयों में 386 शिक्षक कार्यरत है, जिसमें 261 सरकारी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति इन विद्यालयों में की गई है तथा शेष 125 शिक्षक संविदा आधारित मानदेय पर कार्यरत हैं। इन शिक्षकों के द्वारा मॉडल विद्यालयों में शिक्षण की सुचारू व्यवस्था की गई है, जिसके फलस्वरूप मॉडल विद्यालयों में अध्ययनरत् बच्चों के द्वारा विगत 04 वर्षों में झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है जो निम्नवत् है:–

वर्ष	विद्यालयों की संख्या	माध्यमिक विद्यालय में सम्मिलित छात्र–छात्राओं की संख्या	कुल उत्तीर्णता का प्रतिशत	प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्र–छात्राओं का प्रतिशत
2018	89	1001	87.01	57.04
2019	89	788	83.88	58.75
2020	89	1010	86.13	63.36
2021	89	1296	96.37	82.71

4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के मॉडल विद्यालयों में स्थाई शिक्षकों की नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य सरकार द्वारा मॉडल विद्यालयों के लिए विभागीय संकल्प संख्या–1203 दिनांक 14.06.2016 के द्वारा एक प्राचार्य, एक उप प्राचार्य तथा 11 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के पद स्वीकृत किये गये है। सृजित पदो के विरूद्ध नियमित नियुक्ति हेतु सेवा शर्त्त नियमावली के गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स. 01–51 / 2023 765 / दिनांक 12/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/23

सरकार के अवर सचिव।

(138)

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री भानु प्रताप शाही, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित
प्रश्न संख्या अ.सू.–07

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि झारखंड राज्य गठन के बाद अभी तक दो ही बार (2013 एवं 2016) में जेटेट परीक्षा का आयोजन हुआ है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि आगामी शिक्षक बहाली प्रक्रिया में झारखंड सरकार सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका देने जा रही है;	झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 एवं झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (संशोधन) नियमावली 2022 में सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका देने के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं है।
3	क्या यह बात सही है कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया से पहले अगर सरकार जेटेट परीक्षा कराने में सक्षम नहीं होती है तो 2016 के D.EL.Ed या B.Ed. कोर्स किये हुए लाखों छात्र–छात्राओं को मौका नहीं मिल पायेगा, जिससे उनके मौलिक अधिकार एवं अवसर की समानता का हनन होगा;	झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 में वर्ष में एक बार जेटेट परीक्षा का आयोजन करने का प्रावधान किया गया है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (संशोधन) नियमावली 2022 निर्गत कर दी गई है तथा निदेशालीय पत्रांक 278 दिनांक 23.02.2022 द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन यथाशीघ्र करने का निदेश झारखंड अधिविद्य परिषद्, राँची को दिया जा चुका है, जिसके आलोक में झारखंड अधिविद्य परिषद्, राँची द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करने की कार्रवाई की जा रही है। सम्प्रति कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार NCTE के नियमानुसार जेटेट परीक्षा आयोजन नहीं कराने के स्थिति में सीटेट उत्तीर्ण छात्रों को मौका देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल करने का प्रावधान झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (संशोधन) नियमावली 2022 एवं झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 में नहीं किया गया है।

13/3/23
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक :16 / वि.2–77 / 2023 397 / राँची, दिनांक 13–3– / 2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–91 दिनांक 21.02.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/3/23
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(139)

श्री नारायण दास, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–14.03.2023 को पृच्छित अल्पसूचित प्रश्न संख्या 51 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री नारायण दास, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए 25 आवासीय सेंटर, 87 डे–बोर्डिंग सेंटर, 03 सेंटर ऑफ एक्सेलेन्स, 13 क्रीड़ा किसलय सेंटर में प्रशिक्षण ले रही करीब 3500 खिलाड़ियों को सरकार द्वारा किट नहीं दी गई है, जिसके कारण सेंटर में प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ियों को टूटे–फूटे खेल सामग्री के साथ–साथ खाली पैर प्रैक्टिस करने को बाध्य होना पड़ता है, जबकि राज्य में खिलाड़ियों के लिए 90 करोड़ रूपये राशि के बजट का प्रावधान की जाती है;	अस्वीकारात्मक। विभाग द्वारा वर्ष 2021–22 में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, साझा आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों एवं क्रीड़ा किसलय केन्द्रों को खेल किट उपलब्ध करायी गई है। इस वित्तीय वर्ष में विभागान्तर्गत संचालित हॉकी, एथलेटिक्स एवं तीरंदाजी के आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्रों एवं सेंटर ऑफ एक्सेलेन्स में आवश्यक खेल उपकरण उपलब्ध कराया जा चुका है तथा सभी आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रो एवं डे–बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रशिक्षु खिलाड़ियों को खेल किट उपलब्ध कराने हेतु प्रक्रिया की जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य में मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजन पर सरकार 10 करोड़ रूपये राशि से अधिक राशि खर्च की है परन्तु खण्ड–01 में वर्णित खिलाड़ियों के लिए किट खरीदने के लिए सरकार द्वारा राशि नहीं दी गयी है;	अस्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि राज्य के खेल निदेशालय में वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के मामले सामने आने के बावजूद सरकार द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है;	खेल निदेशालय अंतर्गत NGOC में 34वीं राष्ट्रीय खेल के आयोजन एवं 34वीं राष्ट्रीय खेल के तहत निर्मित आधारभूत तथा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स संरचना के निर्माण में अनियमितता के मामलों की जाँच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा की जा रही है।
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्यहित में खण्ड–01 में वर्णिति खिलाड़ियों को सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराते हुए खण्ड–03 में वर्णित वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जाँच कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कण्डिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–30/2023 516 / राँची, दिनांक 10.03.2023

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0–627/वि०स०, दिनांक–27.02.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10.03.23

सरकार के संयुक्त सचिव

(140)

श्री अनन्त कुमार ओझा, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–19 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य अंतर्गत विभिन्न विश्वविद्यालयों के अधिकांशतः महाविद्यालयों में पुस्तकालय भवन व वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तको का अभाव है, जिस कारण विभिन्न विषयों के छात्र–छात्राएँ को तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा के पठन–पाठन में कठिनाईयाँ हो रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालयों में लाईब्रेरियन खेल प्रशिक्षकों की पद सृजन कर पदस्थापित नहीं करने तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा के शिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण तथा वित्तीय प्रबंधन एवं संचालन हेतु अनुबंध कर्मी द्वारा संदर्भित महाविद्यालयों में वित्तीय अनियमितताएँ से शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। व्यवसायिक (Vocational) एवं तकनीकी पाठ्यक्रम का संचालन विश्वविद्यालय द्वारा स्ववित्त पोषित के आधार पर किया जाता है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्यन्तर्गत उन सभी महाविद्यालयों में लाईब्रेरियन का पदस्थापन तथा वर्तमान तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमानुसार पुस्तकों के उपलब्धता तथा विश्वविद्यालय वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ कराने का विचार रखती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य के छः विश्वविद्यालयों को वित्तीय वर्ष 2021–22 में पुस्तक एवं उपकरण हेतु कुल राशि रू0 12,80,00,000/– (बारह करोड़ अस्सी हजार रूपये) मात्र निर्गत की गई है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक–01/वि0स0–20/2023 641 / रॉची, दिनांक 12/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–247 दिनांक–23.02.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/23
(सुरेश चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

(141)

786
12/03/2023

श्री दीपक बिरुवा, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–58

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के 37 प्लस टू हाई स्कूलों में मात्र 84 शिक्षक ही कार्यरत हैं, जिसमें प्लस टू के 16 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि – (*i*) पश्चिमी सिंहभूम जिले में (+2) उच्च विद्यालयों की कुल संख्या–39 है। इनमें से 03 नवउत्क्रमित (+2) उच्च विद्यालय हैं, जिनमें स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक का पद स्वीकृत नहीं है। (*ii*) शेष 36 (+2) उच्च विद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के कुल स्वीकृत पदों की संख्या–396 है तथा कार्यरत शिक्षकों की संख्या–94 है। (*iii*) उक्त 36 (+2) उच्च विद्यालयों में से 8 (+2) उच्च विद्यालयों में छात्रों का नामांकन शून्य है एवं संबंधित विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की संख्या भी शून्य है। (*iv*) उक्त 36 (+2) उच्च विद्यालयों में से 03 (+2) विद्यालयों में छात्रों का नामांकन है, परन्तु कार्यरत शिक्षकों की संख्या शून्य है। अर्थात् 36 (+2) उच्च विद्यालयों में से 25 विद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक पदस्थापित हैं और 08 विद्यालयों में नामांकन एवं कार्यरत शिक्षकों की संख्या शून्य है तथा 03 (+2) उच्च विद्यालयों में नामांकित छात्रों के विरुद्ध स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक कार्यरत नहीं हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि स्वीकृत पदों के विरुद्ध शिक्षक नहीं होने के कारण बच्चे ट्यूशन और कोचिंग के सहारे अपना कोर्स पूरा करने को बाध्य हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक। जिलान्तर्गत +2 उच्च विद्यालयों में स्वीकृत/कार्यरत/ रिक्ति निम्नवत् है :– स्वीकृत पद – 396, कार्यरत पद – 94 रिक्त पद – 302
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शिक्षकों की घोर कमी को देखते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए स्वीकृत रिक्त पदों पर शिक्षकों को पदस्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी को पूर्ण करने हेतु विज्ञापन सं. 14/2022 (सीधी नियुक्ति) एवं 15/2022 (बैकलॉग नियुक्ति) के माध्यम से क्रमशः 2855 एवं 265 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, परंतु वैधानिक आधार पर आयोग द्वारा अधियाचना वापस कर दी गयी है। नई नियोजन नीति के क्रम में उक्त 3120 पदों पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को पुनः अधियाचना भेजी जा रही है।

12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–77/2023 786 / दिनांक 12/03/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

(142)

790
12/03/2023

श्री विकास कुमार मुण्डा, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–41

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2016 में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा माध्यमिक विद्यालय हेतु स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली निकाली गई थी, जिसमें अर्हता के रूप में मुख्य रूप से स्नातक एवं बी0एड0 मांगी गई थी;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय अधिसूचना सं.– 434 दिनांक 01.03.2016 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली, 2015 के अनुसार सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु निम्नांकित योग्यता विहित् है:– राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय, जिसमें नियुक्ति होनी है, में न्यूनतम 45% अंको के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। परन्तु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थी हेतु न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। परन्तु यह कि प्राच्य भाषा (संस्कृत, उर्दू, फारसी, अरबी) में शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ समिति द्वारा प्रदत्त आचार्य (साहित्य अथवा व्याकरण), फाजिल (अरबी अथवा उर्दू, फारसी) की डिग्री अथवा संस्कृत, फारसी, उर्दू एवं अरबी स्नातकोत्तर की डिग्री अनिवार्य होगी। उक्त योग्यता के अतिरिक्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) के अस्तित्व में आने की तिथि 17.08.1995 से पूर्व के मामलों में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी०एड० अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा बी०एड० के समकक्ष घोषित डिग्री अनिवार्य है।
2.	क्या यह बात सही है कि स्नातक एवं बी0एड0 के ही आधार पर संस्कृत को छोड़ अन्य विषय के सफल अभ्यर्थियों को सभी जिलों में जॉइनिंग दे दी गई है;	वस्तुस्थिति यह है कि संबंधित नियुक्ति नियमावली, 2015 में निहित प्रावधानानुसार संबंधित विषयों में जिला द्वारा नियुक्ति की कार्रवाई की गयी है।
3.	क्या यह बात सही है कि उसी आधार पर ही सिमडेगा, लातेहार, साहेबगंज इत्यादि में संस्कृत के सफल अभ्यर्थियों को भी बहाल कर दिया गया है;	वस्तुस्थिति यह है कि W.P(S) No. 1387/2017 में दिनांक 18.09.2019 को पारित अंतरिम स्थगन आदेश के पूर्व संस्कृत विशय में नियुक्ति हेतु JSSC, Ranchi द्वारा प्रेषित अनुशंसा के आलोक में संबंधित जिलों (दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, जामताड़ा, सिमडेगा, खूँटी, लातेहार, देवघर, गोड्डा) में नियुक्ति की कार्रवाई की जा चुकी है।
4.	क्या यह बात सही है कि राँची, सरायकेला, गिरिडीह, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम	वस्तुस्थिति यह है कि संस्कृत विषय में नियुक्ति हेतु JSSC, Ranchi द्वारा अनुसूचित जिलों (रांची, लोहरदगा, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला–खरसावां) हेतु प्रेषित

विशा॰ — 12/3/23

श्री विकास कुमार मुण्डा, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–41

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	इत्यादि में संस्कृत के सफल अभ्यर्थियों से स्नातक के स्थान पर स्नातकोत्तर मांगी जा रही है, जबकि अर्हता अधिसूचना में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर वर्णित थी;	अनुशंसा–144 तथा गैर अनुसूचित जिलों (बोकारो, गिरिडीह, चतरा, धनबाद, गढ़वा, पलामू, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़) हेतु प्रेषित अनुशंसा–286 माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय में CGTTCE-2016 के संदर्भ में दायर न्यायिक मामलों में पारित आदेश एवं कार्मिक विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–6356 दिनांक 06.10.2021 के आलोक में विभाग स्तर पर ही लंबित रह गयी थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर Civil Appeal No. 4044/2022 से उद्भूत Cont Case No. 612/2022 में दिनांक 15.12.2022 को पारित आदेश की कंडिका–2 के अनुपालन में अनुसूचित जिलों के अनुशंसित अभ्यर्थियों का नियुक्ति नियमावली के प्रावधान के अनुरूप शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता के आलोक में नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। **यह उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *Malik Mazhar Sultan Vrs. UPPSC (2006) 9 SCC 507, Para-21, Ashish Kumar Vrs. State of UP, (2018) 3 SCC 55, Para-27, Raminder Singh Vrs. State of Punjab, (2016) 16 SCC 95, Para-24 & 25 एवं Civil Appeal No. 152/2022, The Employees' State Insurance Corporation Vrs. UOI & Ors.* वाद में पारित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विज्ञापन एवं नियुक्ति नियमावली में विरोधाभास की स्थिति में नियुक्ति नियमावली के प्रावधान ही प्रभावी होता है।**
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस मामले की जाँच कराते हुए संस्कृत के सफल अभ्यर्थियों को स्नातक एवं बी0एड0 के आधार पर ज्वाईनिंग देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपर्युक्त कंडिका–4 में सन्निहित है।

सरकार के अवर सचिव। 12/3/23

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–50/2023.....790...../ दिनांक 12/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव। 12/3/23

(143)

763
12/03/2023

श्री राजेश कच्छप, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–37

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के ग्रामीण एवं शैक्षणिक विकास में व्यापक रूप से पिछड़े इलाकों में वित्तरहित शिक्षण संस्थानों द्वारा 2 (दो) लाख से ज्यादा बच्चों को पठन–पाठन कराया जा रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि झारखंड अधिविद्य परिषद्, रांची के ज्ञापांक–877 दिनांक– 03.03.2023 के अनुसार झारखंड राज्य में अवस्थित वित्त रहित शिक्षण संस्थानों में 4,30,000 (चार लाख तीस हजार) छात्र–छात्राएँ अध्ययनरत् है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित शिक्षण संस्थानों के पास *Adequate Infrastructure* के साथ–साथ अनुभवी शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी उपलब्ध है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि अधिकांश वित्त रहित शिक्षण संस्थानों की आधारभूत संरचना निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है तथा अनेक शिक्षण संस्थानों में अप्रशिक्षित शिक्षक कार्यरत है।
3.	क्या यह बात सही है कि पड़ोसी राज्य बिहार में वर्ष 2006 में वित्तरहित नीति को समाप्त कर दी गई है जबकि झारखण्ड राज्य में अनुदानित व्यवस्था जारी है, जिसके कारण बेहतर शैक्षणिक वातावरण नहीं बन पा रहा है तथा शिक्षकों एवं कर्मीगण भी आक्रोशित है एवं आन्दोलित है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य मे बेहतर शैक्षणिक वातावरण के निर्माण हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है तथा इस हेतु आवश्यकतानुसार विद्यालयों का उत्क्रमण एवं स्थापना की कार्रवाई की गई है। साथ ही राज्य सरकार के संकल्प संख्या 697 दिनांक 15.03.2022 के प्रावधान के आलोक में राज्य के प्रत्येक पंचायत में कम–से–कम एक आदर्श विद्यालय स्थापित किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जिसके प्रथम चरण में 80 जिला स्तरीय एवं 325 प्रखण्ड स्तरीय आदर्श विद्यालयों को कार्यकारी बनाया जा रहा है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अनुदानित व्यवस्था को खत्म कर वित्तरहित नीति को वित्तसहित करने तथा खण्ड–01 में वर्णित संस्थानों का अधिग्रहण (*Take over*) करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करने तथा इस नीति के तहत संचालित संस्थानों के अधिग्रहण का कोई भी प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। राजकीय अधिसूचना संख्या–129 दिनांक 30.11.1981 द्वारा माध्यमिक विद्यालयों की प्रस्वीकृति आदि के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार वैसे विद्यालय जो प्रस्वीकृति की सभी निर्धारित शर्त्ते पूर्ण करती है उन्हें राज्य सरकार द्वारा बिना किसी वित्तीय भार के प्रस्वीकृति प्रदान की जा सकेगी। ऐसे विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा को सरकार अधिग्रहित नहीं करेगी आदि, जिससे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, रांची से संबंधित स्थिति स्वतः स्पष्ट है।

विश्वास 12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–49/2023......763........../ दिनांक 12/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वास 12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

(144)

श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–36 का उत्तर प्रतिवेदन –

क्र.	अल्पसूचित प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि केन्द्र सरकार की डिजिटल इंडिया के तहत् वाई–फाई चौपाल योजना से बोकारो एवं रामगढ़ के 400 ग्रामों को डिजिटल बनाने की योजना थी;	**स्वीकारात्मक।** जिला रामगढ़ तथा बोकारो के संबंधित पंचायतों में वाई–फाई चौपाल योजना अधिष्ठापित किया गया था।
2	क्या यह बात सही है, कि वर्ष 2016 में उपर्युक्त योजना पर काम शुरू हुआ और 2017 में योजना ही बन्द हो गई;	**आंशिक अस्वीकारात्मक।** रामगढ़ जिला में उक्त योजना वर्ष 2020 तक प्रभावी रहा तथा बोकारो जिला में उक्त योजना 2019 तक प्रभावी रहा।
3	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2016 में बोकारो के दुग्दा पूर्वी व पश्चिमी पंचायत को कैशलेस गाँव सरकार की ओर से घोषित किया गया था, जो एक कोरी घोषणा थी;	**स्वीकारात्मक।** बोकारो जिला के दुग्दा पूर्वी एवं दुग्दा पश्चिमी पंचायत को कैशलेस गाँव घोषित किया गया था और ग्रामीणों/दुकानदारों को कैशलेस की जानकारी दी गयी थी एवं जागरूकता अभियान चलाया गया था।
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या राज्य सरकार केन्द्र के सहयोग से उक्त योजना को पुनर्जीवित करना चाहती है हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	यह भारत सरकार का नीतिगत मामला है। वर्तमान में राज्य सरकार के समक्ष ऐसी कोई परियोजना विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग

तृतीय मंजिल, झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, रांची–834004

ज्ञापांक : ITSec2/Vidha-Prshn-07/2023/IT - 442 रांची, दिनांक : 13.03.2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0प्र0–480, दिनांक 25.02.2023 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सुनील कुमार पोद्दार)
13/03/23
अवर सचिव।

145

273
12/03/2023

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–25

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि आज के परिवेश में बच्चों में योग एवं शारीरिक शिक्षा के अभाव के कारण मानसिक विकृति की भावना पनप रही है;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये योग शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में शारीरिक साक्षरता/खेल–कूद की ठोस एवं प्रभावी पाठ्य योजना, मासिक पाठ्यक्रम आदि के बेहतर संचालन हेतु शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम एवं खेल–कूद कैलेंडर से संबंधित मार्गदर्शिका–सह–हैंडबुक तैयार किया गया हैं एवं क्रियान्वयन हेतु शारीरिक साक्षरता/खेल–कूद के एक नोडल शिक्षक को चिन्हित किया गया है, जो संबंधित विषय के नियुक्त शिक्षक अथवा अभिरूचि रखने वाले शिक्षक हैं। झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, रांची के विज्ञापन सं. –21/2016 के तहत् शारीरिक शिक्षा विषय में अधियाचित रिक्ति 1651 के विरूद्ध झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, रांची से प्राप्त कुल–700 अनुशंसा प्राप्त हुई थी, जिसके आलोक में लगभग 668 नियुक्ति की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Cont. Case No-612/2022 में दिनांक 15.12.2022 को पारित आदेश के आलोक में JSSC को वर्ष 2016 में प्रेषित अधियाचना के विरूद्ध शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति के निमित्त अग्रेत्तर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार योग शिक्षा अनिवार्य करते हुए राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को योग एवं शारीरिक शिक्षा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खंड का उत्तर उपर्युक्त कंडिका–2 में सन्निहित है।

विकास
12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–46/2023 273 / दिनांक 12/03/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विकास
12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

146 793 12/03/2023

श्री विकास कुमार मुण्डा, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ०सू०–45

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि JCERT पुस्तक के 9वॉ–10वी. के इतिहास एवं भूगोल में क्षेत्रीय एवं भारतीय विषयवस्तुओं को काफी कम कर दिया गया है, जिस कारण बच्चों को क्षेत्रीय स्वतंत्रता सेनानियों एवं भौगोलिक क्षेत्रों की जानकारी अच्छे से नहीं मिल पाती है और न ही वो उनसे प्रेरित हो पाते हैं;	अस्वीकारात्मक। वर्ग–9वॉ–10वीं की पाठ्यपुस्तकों का विषय सामग्री राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (*NCERT*) के पाठ के अनुसार झारखण्ड राज्य में प्रभावी है, जो सभी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (*CBSE*) से संबद्ध विद्यालयों में भी लागू है।
2.	क्या यह बात सही है कि JCERT पुस्तक की गुणवत्ता बेहतर नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक काफी होते हैं एवं विद्यालयों में पुस्तकें भी वक्त पर नहीं मिलती हैं;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य गठन के पश्चात् कक्षा–01 से 08 तक की पाठ्य पुस्तक तैयार की गई है, जिनकी गुणवत्ता पुनरीक्षण का कार्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के आलोक में प्रारंभ किया गया है, ताकि पुस्तकों की गुणवत्ता और अधिक बढ़े। कक्षा 09 से 12 तक की एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकें राज्य के सरकारी एवं अन्य विद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं। अवलोकन में पाया गया है कि मुद्रण अथवा शब्दों, वाक्यों तथा विराम चिन्ह् संबंधी कतिपय अशुद्धियाँ हैं, जिसके निराकरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। राज्यान्तर्गत सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक ससमय उपलब्ध करायी जाती है एवं निर्धारित मापदंड के अनुसार पाठ्यपुस्तक मुद्रित करायी जाती है।
3.	क्या यह बात सही है कि सरकारी शिक्षकों को निश्चित अंतराल पर शिक्षण संबंधी ट्रेनिंग नहीं मिलती है, जिस कारण बच्चों को पढ़ाने हेतु वो नई तकनीक नहीं सीख पाते हैं;	अस्वीकारात्मक। समग्र शिक्षा के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार सभी कोटि के शिक्षकों को समय–समय पर *NCERT Module* एवं *JCERT* द्वारा पठन–पाठन के अभिनव प्रविधियों, विषय सामग्री एवं विद्यालय प्रबंधन के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे शिक्षक नई तकनीक सीखते है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संबंधित पुस्तकों के पाठ्यक्रम में बदलाव कर स्थानीय विषयवस्तुओं को जोड़ने, गुणवत्ता सुधारने, विद्यालय में सत्र शुरू होने से पूर्व पुस्तक उपलब्ध करवाने एवं शिक्षकों को उनके विषय के विशेषज्ञों द्वारा निश्चित अंतराल पर ट्रेनिंग दिलवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपर्युक्त कंडिकाओं में सन्निहित है। वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (*NEP,2020*) के अन्तर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (*DIET*) को सुदृढ़ किया जा रहा है और शिक्षकों को प्रशिक्षण करवाने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के तहत् झारखण्ड में प्रभावी पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण किया जा रहा है, ताकि पाठ्यक्रम झारखण्ड राज्य के अनुरूप हो। पाठ्य पुस्तके, सत्र प्रारंभ के पूर्व ही उपलब्ध करायी जाती है।

12/3/23

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–52/2023 793 / दिनांक 12/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/23

सरकार के अवर सचिव।

(147)

श्री मनीष जयसवाल, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पूछे जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–59 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राज्य में अबतक जंगली हाथियों के हमले से सैकड़ों लोगों की मौत होने के साथ–साथ लाखों रूपयें की क्षति हुई है;	उत्तर स्वीकारात्मक। झारखण्ड निर्माण के बाद से माह जनवरी, 2023 तक राज्य में जंगली हाथियों से कुल 1681 व्यक्तियों की मृत्यु हुई एवं 3078 व्यक्ति घायल हुए है। मृत्यु, घायल एवं अन्य सभी तरह के क्षति के लिए अबतक कुल 9214.918 लाख रूपयें राशि का मुआवजा भुगतान किया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि राज्य में अबतक जंगली हाथियों का उत्पात ग्रामीण क्षेत्रों में ही देखने को मिलती थी परन्तु दिनांक 07 फरवरी, 2023 को हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र के खिरगाँव मुहल्ले में घुसकर 02 लोगों को पटककर मार डाला गया तथा 01 छोटी बच्ची को गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसके कारण उक्त क्षेत्र के लोगों में काफी दहशत का माहौल है क्योंकि राज्य में सरकार द्वारा अबतक जंगली हाथियों के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन नहीं की गई है, जिसके कारण राज्य में जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो सरकार को उक्त स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कलकत्ता से विशेष दल बुलानी पड़ती है, जिसके कारण हाथियों से पीड़ित गाँवों के लोगों के लिए सरकार काफी विलम्ब से राहत कार्य चला पाती है और तबतक जान–माल की काफी क्षति हो जाती है;	उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। 7 फरवरी, 2023 के सुबह अचानक एक हाथी अपने झुण्ड से विछुड़ कर हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र के खिरगांव मुहल्ले में प्रवेश कर गया था एवं इस हाथी से 2 लोगों की मृत्यु एवं एक छोटी बच्ची घायल हो गई थी। सूचना प्राप्त होते ही वन पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा स्थानीय Quick Response Team के साथ घटना स्थल पर पहुँच कर हाथी को आबादी क्षेत्र से दूर जंगल में पहुँचाने का प्रयास प्रारम्भ कर दिया गया। इसके साथ वाहन में माईक के साथ प्रचार–प्रसार कर लोगों को हाथी के नजदीक एवं रात में हाथी क्षेत्र में न जाने के लिए जागरूक करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया। इसके अतिरिक्त बड़कागांव प्रक्षेत्र में प्रशिक्षित लोगों को भी सहयोग के लिए बुला लिया गया। सभी के सहयोग से हाथी को बड़का गांव के जंगल में सुरक्षित पहुँचा दिया गया। सुरक्षा एवं लोगों को भयमुक्त रखने के मद्देनजर बाकुड़ा (पश्चिम बंगाल) से Expert Team भी बुला लिया गया था तथा हाथी को हजारीबाग जिला के बाहर चतरा के जंगल में प्रवेश करा दिया गया।
3. यदि उपर्युक्त खण्ड़ों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में राज्य में के लोगों को जंगली हाथियों के प्रकोप से बचाने के लिए विशेष टास्क फोर्स के गठन का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों?	हाथियों से कम–से–कम क्षति हो इसके लिए हाथी प्रभावित जिलों के लिए Quick Response Team का गठन किया गया है। हाथी को पर्याप्त पर्यावास उपलब्ध हो सके उसके लिए बांस बखार की सफाई, बाँस वनरोपण, चेक डैम का निर्माण आदि लगातार किये जा रहे है। प्रभावित गांवों में सोलर लाईट, टॉर्च, पटाखा, तेल आदि की वितरण भी किया जाता है।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 अल्पसूचित प्रश्न–34/2023– 912 व0प0, दिनांक–13/03/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–718, दिनांक–28.02.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/03/23

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

(148)

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–14.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–40 का उत्तरः–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के सरकारी अथवा प्राइवेट पॉलिटेक्निक संस्थानों से हर वर्ष लाखों छात्र–छात्राएं उत्तीर्ण होकर डिप्लोमा की डिग्री प्राप्त करते हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि डिप्लोमा प्राप्त छात्र–छात्राओं को राज्य में होने वाली या हो रही नियुक्ति प्रक्रिया में इंटरमीडिएट के समतुल्य योग्यता प्राप्त है;	स्वीकारात्मक विभागीय संकल्प संख्या–403, दिनांक–12.05.2017 द्वारा "राज्य सरकार द्वारा की जा रही नियुक्तियों में इंटरमीडिएट (10+2) अथवा समकक्ष शैक्षणिक अर्हता वाले पदों पर राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, राँची द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा को इंटरमीडिएट (10+2) के समतुल्य माना जाएगा" तथा विभागीय संकल्प संख्या–471, दिनांक–05.06.2017 द्वारा "राज्य सरकार द्वारा की जा रही नियुक्तियों में इंटरमीडिएट (10+2) अथवा समकक्ष शैक्षणिक अर्हता वाले पदों पर राज्य में अवस्थित संस्थानों में संचालित AICTE से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा को इंटरमीडिएट (10+2) के समतुल्य माना जाएगा" प्रावधानित किया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि डिप्लोमा (पॉलिटेक्निक) के अभ्यर्थियों को इंटरमीडिएट के समतुल्य योग्यता प्राप्त होने के बावजूद इंटरमीडिएट स्तरीय नियुक्तियों में लाभ नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण पॉलिटेक्निक (डिप्लोमा) के छात्र रोजगार से वंचित हो जा रहे हैं;	कंडिका–2 में सन्निहित है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी विभागों/जेएसएससी/राजगारोन्मुखी संस्थानों को स्पष्ट दिशा–निर्देश देते हुए डिप्लोमा (पॉलिटेक्निक) उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को इंटर के समतुल्य योग्यता के तहत नियुक्ति प्रक्रिया में लाभ प्रदान करने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपाल हाऊस, योजना भवन, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक–त0शि0प्र0/वि0स0–02/2023–263 /राँची, दिनांक–12/03/2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक–479, दिनांक–25.02.2023 के आलोक में 200 प्रतियॉ के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/03/23

(रवि शंकर)
सरकार के उप सचिव।

(149)

श्री किशुन कुमार दास, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–60 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2005 से राज्य के 22 अंगीभूत महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में कार्यरत बी0एड0 प्राध्यापकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों की न तो सेवाशर्त्त नियमावली बनाई गई है ना ही सेवा स्थायी की गई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। बी0एड0 पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों में NCTE के प्रावधानों के आलोक में Self Financing Mode में संचालित हो रहा है। NCTE के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों के द्वारा Self Financing Mode के तहत् शिक्षकों को रखा जाता रहा है। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा सिनेट/ सिंडिकेट से Statute/ Regulation पारित कराकर विभाग को उपलब्ध कराता है। तत्पश्चात् विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के आठ विश्वविद्यालयों में संचालित अंगीभूत महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत वर्ष 2005 से चल रहे शिक्षा विभाग के बी0एड0 में कार्यरत प्राध्यापकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा स्थायीकरण एवं स्ववित्तपोषित योजना को समाप्त करने हेतु विगत 15 वर्ष से मांग किया जा रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। NCTE के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालयों/ अंगीभूत महाविद्यालयों के द्वारा Self Financing Mode के तहत् शिक्षकों को रखा जाता रहा है। उक्त प्राध्यापकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा स्थायीकरण एवं स्ववित्तपोषित योजना को समाप्त करने से संबंधित वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित लोगों के नियमितिकरण करने हेतु सरकारी विश्वविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों के समकक्ष सेवाशर्त्त नियमावली बनाकर सरकारी कर्मियों के समान वेतन एवं अन्य भत्ता देना चाहती है, हाँ तो, कबतक, नही तो क्यों ?	कंडिका–02 में सन्निहत है।

कृ0पृ0उ0

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक–01 / वि0स0–29 / 2023 642 / रॉची, दिनांक 12/03/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–787, दिनांक–01.03.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/23
(सुरेश चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

(158)

762
12/03/2023

श्री प्रदीप यादव, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–55

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के 203 कस्तुरबा आवासीय बालिका विद्यालयों एवं झारखण्ड आवासीय विद्यालयों में +2 के शिक्षण कार्य अंशकालिक/घंटी आधारित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के भरोसे चल रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। 203 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में समग्र शिक्षा के अन्तर्गत 05 पूर्णकालिक शिक्षिका एवं 05 अंशकालिक शिक्षिका का पद स्वीकृत है जिनके माध्यम से पठन–पाठन का कार्य संचालित होता है। 57 झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय में भी तत्काल 05 पूर्णकालिक शिक्षिका एवं 05 अंशकालिक शिक्षिका के माध्यम से विद्यालय संचालन का निर्णय लिया गया है एवं तदनुसार नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही विद्यालय की आवश्यकता के आलोक में अंशकालीन घंटी आधारित शिक्षक/शिक्षिकाओं की सेवाएं प्राप्त की जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त आवासीय बालिका विद्यालयों में उच्च योग्यताधारी शिक्षकों को प्रति घंटी दी जाने वाली राशि बहुत ही कम है, जिससे उनके जीवन यापन में आर्थिक परेशानी होती है;	समग्र शिक्षा के अन्तर्गत 05 अंशकालीन शिक्षिकाओं के लिए रू. 11,000/– प्रतिमाह स्वीकृत है तथा राज्य सरकार द्वारा मानदेय में 20 प्रतिशत की वृद्धि भी की गई है। वर्तमान में इन्हें प्रतिमाह रू. 13,200/– अधिकतम दिया जा रहा है, जो घंटी आधारित है। इस संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय का पत्रांक–2048 दिनांक 22.08.2022 निर्गत है।
3.	क्या यह बात सही है कि पूर्व में इनके संघ के द्वारा माननीय मंत्री एवं सचिव को भी इनकी सेवा पूर्णकालिक करने एवं मानदेय तय करने की मांग की गई है, परन्तु अब तक कोई भी सम्मानजनक ठोस निर्णय नहीं हो पाया है;	समग्र शिक्षा के अन्तर्गत स्वीकृत अंशकालिक/घंटी आधारित शिक्षक/शिक्षिकाओं की सेवा आवश्यकता के अनुरूप ली जाती है तथा यह पूर्णतः अस्थायी है, इनके पूर्णकालिक किये जाने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–3 के मांगों पर अविलम्ब छात्र हित में ठोस निर्णय लेना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय एवं झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय में नियमित शिक्षिकाओं की नियुक्ति हेतु विभागीय संकल्प संख्या–100 दिनांक 03.03.2008 एवं 2949 दिनांक 02.01.2015 द्वारा नियमित पद स्वीकृत है, जिनपर नियुक्ति हेतु सेवा शर्त्त नियमावली के गठन का कार्य प्रक्रियाधीन है।

विभाग।–
12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–91/2023.....762...../ दिनांक 12/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विभाग।.
12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

(151)

770
12/03/2023

नारायण दास, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–52

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य गठन के बाद से आज तक इण्टरमीडिएट शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी की सेवा शर्त्त नियमावली नहीं बन पाई है, जिस कारण उनकी नियुक्ति, प्रोन्नति और प्रक्रियाओं का निर्धारण नहीं होने के कारण उनके समक्ष कठिनाईयाँ हो रही हैं;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में संचालित वित्तरहित शिक्षा संस्थान, निजी संस्थान हैं एवं उनमें शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति संस्थान के शासी निकाय के द्वारा किया जाता है। ये कर्मी राज्य सरकार के कर्मी नहीं होते हैं, फलस्वरूप सेवा शर्त्त नियमावली के गठन का कोई भी प्रावधान नहीं है। माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं. 233/1991, भारत संघ एवं अन्य बनाम् तेजराम परशरामजी बंभाटे एवं अन्य वाद में दिनांक 03.05.1991 को पारित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों के शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के समरूप वेतनमान् का लाभ नहीं दिया जा सकता है – *"Servide Law - Government Servants - School run by officers of Ordnance Factory and not approved by Government - Teachers employed by local arrangement by the officers of the Ordnance Factory and being paid honorarium out of fees received from the students and other donations and not by or on behalf of the government - Held no relationship of master and servant existed between the government and the teachers and the government not accountable to such arrangement.* *5. Secondly, the respondents are not paid by the Central Government. They are not holding any appointment under the Central Government. There is no relationship of master and servant between the Central Government and the respondents. the respondents are employeed in the Secondary School by local arrangement made by the officers of the ordance factory. It is not proved that how the Central Government is accountable to such arrangement made by the local officers.* *7. In any view of the matter, the respondents cannot claim the pay scale admissible to the government school teachers much less regularization of their services by the Central Government. The directions issued by the Tribunal therefore cannot be sustained. They are apparently unjustified and without authority of law."*
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित इण्टरमीडिएट शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों हितार्थ सेवा शर्त्त नियमावली अविलम्ब तैयार कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड राज्य वित्तरहित संस्थान (अनुदान) नियमावली, 2015 में संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–61/2023.....770...../ दिनांक 12/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

(152)

768
12/03/2023

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–48

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 के तहत् गैर सरकारी विद्यालयों में कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के परिवार के बच्चे कक्षा viii तक निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***Society for Un-aided Private Schools of Rajasthan vs. Union of India and another (2012) 6 SCC 1*** में पारित आदेश– *"Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 is not applicable to unaided minority schools. The said 2009 Act and in particular Sections 12(1)(c) and 18(3) infringes the fundamental freedom guaranteed to unaided minority schools under Article 30(1) and, consequently, the said 2009 Act shall not apply to such schools."* के अनुसार गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों में कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों का उक्त प्रावधानान्तर्गत निःशुल्क नामांकन एवं शिक्षा ग्रहण का प्रावधान नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में उल्लेखित अधिनियम के तहत् राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों में नामांकित गरीबी रेखा से नीचे गुजर कर रहे परिवार के बच्चों से कक्षा IX से 10 +2 तक की पढ़ाई के लिए नामांकन तथा मासिक/अन्य शुल्क लिया जाता है;	वस्तुस्थिति यह है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 मात्र वर्ग 8 तक के बच्चों हेतु लागू है। लेकिन +2 स्तर के सरकारी विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की परिधि में नहीं आते हैं।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त अधिनियम के तहत् नामांकित अत्यंत ही निर्धन परिवार से संबंध रखने वाले निद्यार्थियों के परिजन गैर सरकारी विद्यालयों में बच्चों के कक्षा IX से 10 +2 तक की पढ़ाई के महंगे विद्यालय शुल्क देने में असमर्थ होते हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे/अभिवंचित वर्ग के बच्चों/मेधावी बच्चों की शिक्षा पूर्ण करने हेतु विभिन्न प्रोत्साहन/छात्रवृत्ति की व्यवस्था का प्रावधान रखा गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित अधिनियम के तहत् राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों का कक्षा IX से 10 +2 तक की मुफ्त शिक्षा व्यवस्था मुहैया करवाने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने अथवा राज्यस्तर पर मुफ्त शिक्षा व्यवस्था मुहैया करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर कंडिका–3 में सन्निहित है।

विभाग
सरकार के अवर सचिव। 12/3/23

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–53/2023 768 / दिनांक 12/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विभाग
सरकार के अवर सचिव। 12/3/23

(153)

श्री राज सिन्हा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं०–अ०स०–63 का उत्तर सामग्री :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के लोक कलाकारों, रंगमंच विधा से जुड़े कलाकारों को अपने हुनर/विद्या दिखाने के लिए राजधानी राँची सहित अन्य जिलों में आदर्श मंच सभागार लेने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है,	1.	अस्वीकारात्मक जिलों से सभागार लेने में आने वाली समस्याओं से संबंधित किसी प्रकार की सूचना अप्राप्त है।
2.	क्या यह बात सही है कि राजभवन के समीप स्थित आड्रे हाउस, मोरहाबादी मैदान (राँची) स्थित आर्यभट्ट सभागार तथा राँची शहर के मध्य में स्थित सभागारों की बुकिंग के महंगे दरों के चलते कठिन चुनौती साबित होती रही है और कलाकारों द्वारा विभाग को आवेदन करने के बावजूद पिछलें तीन वर्षों में निबंधन (बुकिंग) शुल्क में बढ़ोत्तरी कर दी गयी है,	2.	अस्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राँची सहित सभी जिलों मुख्यालयों में राज्य के विभिन्न विधाओं के कलाकारों लोक कलाकारों के लिए सरकारी सभागारों के बुकिंग में आ रही समस्याओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सभागारों का रियायत दर पर एवं शुल्क में कमी करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	3.	1. ऑड्रे हाउस, राँची के प्रेक्षागृह एवं मुक्ताकाशी मंच का आरक्षण शुल्क सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची के द्वारा वर्ष 2017 में निम्नवत् निर्धारित किया गया है :– क्र० | विवरण | दर 1. | प्रेक्षागृह का भाड़ा | ₹10,000/– प्रतिदिन 2. | विद्युत चार्ज | ₹2,000/– प्रतिदिन 3. | स्क्रूयिटी मनी (रिफनडेबल) | ₹2,000/– (रिफनडेबल) उपर्युक्त आरक्षण शुल्क में वित्तीय वर्ष 2017–18 के उपरांत अद्यावधि कोई वृद्धि नहीं की गई है। 2. मोराहाबादी, राँची स्थित आर्यभट्ट सभागार इस विभाग के नियंत्रणाधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/46/2023.....535...../राँची, दिनांक.....13.03.2023.....

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–945/वि०स०, दिनांक–04/03/2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.03.23

सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

154

772
12/03/2023

श्री बिरंची नारायण, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–21

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो सहित राज्य के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अब तक न पोशाक मिली है और न ही स्कूल किट और अभी भी राज्य के 27% विद्यार्थी पोशाक से तथा 32% विद्यार्थी स्कूल किट से वंचित हैं, जबकि इसके लिए राशि जिलों को 6 महीने पहले ही दे दी गई थी;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य में अबतक 80 प्रतिशत विद्यार्थियों को पोशाक की राशि डी.बी.टी./विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है। शेष विद्यार्थियों को पोशाक उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। बोकारो जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार पोशाक हेतु निर्धारित कुल लक्ष्य 152530 के विरुद्ध 124378 विद्यार्थियों को पोशाक उपलब्ध करा दिया गया है। स्कूल किट हेतु निर्धारित कुल लक्ष्य 151379 के विरुद्ध 117416 विद्यार्थियों को स्कूल किट उपलब्ध करा दिया गया है। मार्च, 2023 तक उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जिला द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य के 38,29,076 विद्यार्थियों को नई पोशाक दी जानी थी, जिसमें से अब तक केवल 27,87,513 विद्यार्थियों को ही पोशाक मिल सकी है एवं बोकारो के 22% विद्यार्थियों को और हजारीबाग के 54% विद्यार्थियों को पोशाक की राशि नहीं मिल सकी है;	आंशिक स्वीकारात्मक। कुल लक्ष्य 38,29,076 विद्यार्थियों में से अब तक 3013966 विद्यार्थियों को पोशाक उपलब्ध करा दिया गया है। शेष विद्यार्थियों को पोशाक उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार बोकारो में 18 प्रतिशत एवं हजारीबाग में 1 प्रतिशत विद्यार्थियों को पोशाक उपलब्ध नहीं हो सका है, जिसे उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विद्यार्थी हित में ऐसे अव्यवस्था हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए उक्त वंचित विद्यार्थियों को उनके पोशाक की राशि और स्कूल किट तत्काल मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इसी वित्तीय वर्ष में सभी अध्ययनरत् विद्यार्थियों को पोशाक एवं स्कूल किट की राशि उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

विकास
सरकार के अवर सचिव। 12/3/23

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–47/2023 772 / दिनांक 12/03/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विकास
सरकार के अवर सचिव। 12/3/23

(154)

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री बिरंची नारायण, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू.–21

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो सहित राज्य के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अब तक न पोशाक मिली है और न ही स्कूल किट और अभी भी राज्य के 27 प्रतिशत विद्यार्थी पोशाक से तथा 32 प्रतिशत विद्यार्थी स्कूल किट से वंचित है, जबकि इसके लिए राशि जिलों को 6 महीने पहले ही दे दी गई थी;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में अब तक 81 प्रतिशत विद्यार्थियों को पोशाक की राशि डी.बी.टी. /विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है, शेष विद्यार्थियों को पोशाक उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। बोकारो जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार पोशाक हेतु निर्धारित कुल लक्ष्य 1,52,530 के विरूद्ध 1,17,645 विद्यार्थियों को पोशाक उपलब्ध करा दिया गया है तथा स्कूल किट हेतु निर्धारित लक्ष्य 1,51,379 के विरूद्ध 1,17,416 विद्यार्थियों को स्कूल किट उपलब्ध करा दिया गया है। मार्च, 2023 तक उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जिला द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य के 38,29,076 विद्यार्थियों को नई पोशाक दी जानी थी, जिसमे से अब तक केवल 27,87,513 विद्यार्थियों को ही पोशाक मिल सकी है एवं बोकारो के 22 प्रतिशत विद्यार्थियों को और हजारीबाग के 54 प्रतिशत विद्यार्थियों को पोशाक की राशि नहीं मिल सकी है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों के लिए निर्धारित लक्ष्य 38,29,076 विद्यार्थियों के विरूद्ध अब तक 30,82,866 विद्यार्थियों को पोशाक उपलब्ध कराया जा चुका है तथा शेष विद्यार्थियों को पोशाक उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार बोकारो जिला में 23 प्रतिशत एवं हजारीबाग जिला में 1 प्रतिशत विद्यार्थियों को पोशाक उपलब्ध नहीं कराया जा सका है, जिन्हें पोशाक उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विद्यार्थी हित में ऐसे अव्यवस्था हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए उक्त वंचित विद्यार्थियों को उनके पोशाक की राशि और स्कूल किट तत्काल मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	31 मार्च 2023 तक सभी विद्यार्थियों को पोशाक एवं स्कूल किट की राशि उपलब्ध कराने के लक्ष्य के विरूद्ध कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

13/3/23
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक : 16/वि.2–90/2023-394/राँची, दिनांक 13-3-/2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–245 दिनांक 23.02.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/3/23
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(155)

777
12/03/2023

श्री निरल पुरती, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–53

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में वर्ष 2021 में 89 प्रखण्डों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने हेतु मॉडल विद्यालय की स्थापना की गई थी;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में कुल 89 मॉडल विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों की स्वीकृति भारत सरकार के *Project Approval Board (PAB)* द्वारा वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 में क्रमशः 40 एवं 49 मॉडल विद्यालयों के संचालन तथा भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। भारत सरकार द्वारा मॉडल विद्यालयों के लिए यह स्वीकृति अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के रूप में वर्ग–6 से 12 तक संचालित करने हेतु प्रदान किया गया था। भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित मॉडल विद्यालय योजना को दिनांक 01.04.2015 के प्रभाव से बन्द करते हुए राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 से भारत सरकार द्वारा इस योजना के लिए वित्तीय प्रावधान भी बन्द कर दिया गया है। विभागीय संकल्प संख्या–1203 दिनांक 14.06.2016 द्वारा केन्द्र प्रायोजित मॉडल विद्यालय योजना को राज्य योजना के तहत संचालित करने का निर्णय लिया गया है। वर्त्तमान में राज्य के सभी 89 मॉडल विद्यालयों का संचालन राज्य योजना के रूप में झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा किया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में शिक्षकों की एकमुश्त मानदेय का भुगतान जुलाई 2022 से किया जा रहा है;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प सं0 1842 दिनांक 06.07.2022 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी.(एस.) संख्या 6479/2016, अनन्त प्रिया सेन व अन्य बनाम् राज्य सरकार व अन्य तथा अन्य 10 वादों में दिनांक 13.01.2017 को पारित आदेश के आलोक में राज्य योजना के तहत् राज्य में संचालित 89 मॉडल विद्यालयों में घंटी आधारित मानदेय पर रखे गये शिक्षकों का मानदेय केन्द्रीय विद्यालय संगठन की तर्ज पर निम्नवत नियत मानदेय से स्वीकृत किया गया है– <table><tr><th>क्र</th><th>पदनाम</th><th>नियत मानदेय</th></tr><tr><td>1.</td><td>स्नातकोत्तर प्रशिक्षित (सभी विषय)</td><td>Rs. 27,500/-</td></tr><tr><td>2.</td><td>स्नातक प्रशिक्षित (सभी विषय)</td><td>Rs. 26,250/-</td></tr></table> यह संकल्प निर्गत की तिथि 06.07.2022 से प्रभावी है। इस प्रकार मॉडल विद्यालय के शिक्षकों को एकमुश्त मानदेय का भुगतान जुलाई, 2022 से किया जा रहा है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मॉडल विद्यालय के शिक्षकों को दिसंबर 2016 से जून, 2022 तक का बकाया मानदेय का भुगतान करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्डों में सन्निहित है। वस्तुस्थिति यह है कि संबंधित मानदेय आधारित शिक्षकों का दिसम्बर, 2016 से जून, 2022 तक मानदेय मद में कोई भी बकाया नहीं है तथा विभागीय संकल्प सं0 1842 दिनांक 06.07.2022, निर्गत की तिथि, दिनांक 06.07.2022 से प्रभावी है, जिसके आधार पर वर्दित नियत मासिक मानदेय का भी भुगतान किया जा रहा है।

12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स. 01–78 / 2023 277 / दिनांक 12/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

(156)

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू.–50

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों को पोशाक देने के स्थान पर पोशाक की राशि देने का प्रावधान है;	आंशिक स्वीकारात्मक। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) झारखंड राँची के संकल्प संख्या 378 दिनांक 05.03.2019 के अनुसार सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को डी.बी.टी. के माध्यम से पोशाक की राशि अथवा स्वयं सहायता समूह/महिला मंडल/सखी मंडल के माध्यम से पोशाक उपलब्ध कराया जाना है। दिनांक 25.03.2019 को सम्पन्न झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् की राज्य कार्यकारिणी समिति की 53वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार कक्षा 1 एवं 2 में नामांकित विद्यार्थियों को, किसी कारणवश जिन्हें स्वयं सहायता समूह या डी.बी.टी. के माध्यम से पोशाक की राशि उपलब्ध नहीं कराया जा सका है, उन्हें विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से पोशाक क्रय कर उपलब्ध कराये जाने का निदेश है।
2	क्या यह बात सही है कि पोशाक की राशि के लिए 38 लाख स्कूली बच्चों में से केवल 23 लाख बच्चों का बैंक खाता खेला गया है;	राज्य के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में से 32,33,436 विद्यार्थियों का बैंकों/डाकघरों में खाता खोला जा चुका है तथा शेष विद्यार्थियों के खाता खोलने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। दस वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थियों के खाता खोलने में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर करने हेतु विद्यार्थियों के अभिभावक के साथ बैंकों/डाकघरों में संयुक्त खाता खोलने हेतु निदेश निर्गत किया गया है। आगामी 3 माह में सभी विद्यार्थियों का खाता खुलवा दिया जाएगा। विद्यार्थियों को पोशाक वितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य 38,29,076 विद्यार्थियों में से अब तक 30,82,866 विद्यार्थियों को पोशाक उपलब्ध करा दिया गया है, शेष विद्यार्थियों को पोशाक उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शेष बच्चों का बैंक खाता खोल कर उनको पोशाक की राशि देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खंड का उत्तर खंड–2 में सन्निहित है।

Sinha 13/3/23
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक : 16/वि.2–100/2023-399/राँची, दिनांक 13-3-/2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–581 दिनांक 26.02.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Sinha 13/3/23
सरकार के अवर सचिव

Khurshid